किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप
(Nature of Education in Adolescence)

समस्याओं की अवस्था होने के कारण किशोरावस्था में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के द्वारा किशोर लड़के-लड़कियों में ऐसी योग्यता, क्षमता और शक्ति पैदा की जा सकती है जिससे वे अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकें। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

(1) शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था (Physical Activities)—किशोरावस्था में किशोर बालक-बालिकाओं के शरीर में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं, अतः शिक्षकों को उनके सन्तुलित शारीरिक विकास के लिए सचेत रहना चाहिए। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। उनके लिए विभिन्न प्रकार के खेलों, व्यायाम और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोरों के माता-पिता और अभिभावकों को अच्छे स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और खेलकूद व व्यायाम के लाभों से अवगत कराया जाना चाहिए, जिससे वे भी अपने बालकों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें।

(2) बौद्धिक क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था (Intellectual Activities)—किशोरावस्था में किशोर लड़के-लड़कियों का विकास सर्वाधिक होता है, अतः उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है उसी प्रकार बौद्धिक विकास के लिए बौद्धिक व्यायाम आवश्यक है। इसके लिए विद्यालय में बौद्धिक गतिविधियाँ और कार्यक्रम जैसे समस्या पूर्ति, पहेलियाँ, प्रश्न मंच, सामान्य ज्ञान, वाद-विवाद, भाषण, कविता लेखन आदि का आयोजन किया जाना चाहिए।

(3) संवेगों का प्रशिक्षण (Training of Emotions)—किशोरों को शिक्षा द्वारा संवेगों का नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिये जिससे उनके जीवन में स्थायित्व आ सके। शिक्षक किशोर बालक-बालिकाओं को ऐसा पर्यावरण दें और इस प्रकार की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करें जिससे उनका मिथ्या भय दूर हो सके, अकारण क्रोध आना बन्द हो सके, ईर्ष्या के स्थान पर स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित हो सके और प्रेम आदि संवेगों का स्वस्थ विकास हो सके। शिक्षक द्वारा किशोरों को वांछित स्नेह और सहानुभूति प्रदान की जानी चाहिए जिससे उनके मानसिक तनाव और संघर्ष दूर हो सके। उनको न तो बालक समझा जाना चाहिये और न ही उनके साथ बालक जैसा व्यवहार करना चाहिये। उनके महत्व को उचित रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

(4) सामाजिकता की शिक्षा (Education of Sociability)—किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति बड़े प्रबल रूप में होती है। शिक्षक इसका लाभ उठाकर किशोरों में प्रेम, सहयोग, अनुशासन, ईमानदारी, आत्म-निर्भरता और आत्म-निर्णय आदि अन्य अच्छे गुणों को विकसित कर सकता है। विद्यालय में ऐसे समूहों का संगठन किया जाना चाहिए जिसका सदस्य बनकर वे उत्तम सामाजिक व्यवहार के ढंग सीख सकें, अच्छा चरित्र बना सकें, अच्छी आदतें पैदा कर सकें और नेतृत्व के गुणों का विकास कर सकें। इसके लिए सामूहिक खेलों, स्काउटिंग, पर्यटन, शिविरों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(5) पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण (Distinction of Curriculum)— किशोरावस्था में लड़के-लड़कियों के पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए क्योंकि उनकी रुचियों में विविधता होती है। उनको अपनी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार विषयों का अध्ययन करने की सुविधा मिलनी चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जो उनकी मानसिक शक्तियों का अधिकतम विकास कर सकें। लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि दोनों की योग्यताओं और अभिरुचियों में अन्तर होता है तथा दोनों को अलग-अलग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं।

(6) उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग (Use of Proper Teaching Methods)—किशोरावस्था में किशोर लड़के-लड़कियों में आयु और ज्ञान दोनों ही दृष्टियों से यथेष्ट परिपक्वता आ जाती है। उनकी सभी मानसिक शक्तियाँ विकसित हो जाती है। अतः ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनसे उनको स्वयं निरीक्षण, परीक्षण, चिन्तन, तर्क, निर्णय, अभ्यास और कल्पना करने के अधिक से अधिक अवसर मिल सकें। उनको पारस्परिक विचार-विमर्श के अधिक अवसर दिये जाने चाहिए। उनकी रुचियों, कल्पनाओं और दिवास्वप्नों को साकार रूप देने के लिए काव्य गोष्ठी, वाद-विवाद, समाजसेवा, खेलकूद आदि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। **रॉस** (Ross) का कहना है कि, *"विषयों का शिक्षण व्यावहारिक ढंग से किया जाना चाहिए और उनका दैनिक जीवन की बातों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। किशोर की शिक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।"*

(7) धार्मिक और नैतिक शिक्षा (Religious and Moral Education)— किशोर लड़के-लड़कियों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिये जिससे वे अच्छे और बुरे, उचित और अनुचित, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण में अन्तर करके अपने व्यवहार को समाज के नैतिक नियमों के अनुसार बना सकें। शिक्षक धार्मिक और नैतिक शिक्षा के द्वारा किशोर के दुर्गणों को, उनकी अपराधवृत्ति को दूर करके, उनके दृष्टिकोण को स्वस्थ और उदार बना सकते हैं। शिक्षकों को नीति के मार्ग पर चलने, महापुरुषों की जीवन गाथाओं से परिचित कराने और नीति संबंधी साहित्य को पढ़ने के लिए किशारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षकों को स्वयं इन आदर्शों को अपने अन्दर विकसित करना चाहिए जिससे किशोर उनका अनुकरण कर सकें।

(8) व्यवसायिक निर्देशन (Vocational Guidance)—किशोरों की एक मुख्य समस्या व्यवसाय के चयन की होती है। यदि उनको सही व्यवसाय नहीं मिलता तो वे आजीवन दुःखी रहते हैं। अतः शिक्षक का कर्त्तव्य है कि वह किशोरों की बुद्धि, दृष्टिकोण, विचारों, झुकावों, भावनाओं, रुचियों और विशेष योग्यताओं का परिचय प्राप्त करके उन्हे उचित व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करें जिससे वे आगे जाकर अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय को अपना सकें।

(9) शैक्षिक पर्यटन (Educational Tours)—किशोरावस्था में किशोर लड़के- लड़कियों के लिए शैक्षिक पर्यटनों का आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। इससे जहाँ उनका ज्ञानवर्द्धन होता है और उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है वहाँ उनका दूसरे लोगों से सम्पर्क होता है और सामाजिक व नैतिक विकास होता है। शैक्षिक पर्यटन उनके प्रत्यक्षीकरण के विकास में सहायक होते हैं। जर्मन युवा आन्दोलन ने भी शैक्षिक पर्यटनों को किशोरों के लिए अत्यन्त उपयोगी बताया है।

(10) व्यवसायिक एवं रचनात्मक शिक्षा (Vocational and Constructive Education)—किशोरावस्था में किशोर लड़के-लड़कियों को उद्देश्यपूरक व्यवसायिक एवं रचनात्मक शिक्षा देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे वे अपनी ज्ञानेन्द्रियों हाथ, आँख, कान आदि के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ हो सकेंगे और इस सामंजस्य के द्वारा उनमें अपनी सभी ज्ञानेन्द्रियों को समग्र रूप में प्रयोग करने की क्षमता का विकास होगा, जो उनके प्रत्यक्षीकरण के विकास में सहायक होगा।

(11) जीवन दर्शन की शिक्षा (Education for Philosophy of Life)— किशोरावस्था के प्रारम्भ में किशोर का जीवन के प्रति कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं होता। वह सुख-दुख, आशा-निराशा, उत्साह-उदासीनता, नैतिक-अनैतिक आदि परस्पर विरोधी भावनाओं का अनुभव करता रहता है। इस प्रकार के मानसिक संघर्षों के बाद वह अपने जीवन-दर्शन का निर्माण करना चाहता है। **रॉस** (Ross) कहते हैं, *"किशोरावस्था आत्म को स्थिर और स्थायी वस्तु में अन्तिम दृढ़ीकरण करने की अवस्था है। जैसे-जैसे उसका दृढ़ीकरण होता जाता है, संकल्प शक्ति विकसित होती जाती है।"* इस प्रकार इस अवस्था में अपने जीवन-दर्शन का निर्माण करने में किशोर लड़के-लड़कियों को मार्गदर्शन की महती आवश्यकता है और यह उत्तरदायित्व शिक्षा पर है। **ब्लेयर, जोन्स** और **सिम्पसन** (Blair, Jones and Simpson) कहते हैं, *"किशोर को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है।"*

(12) यौन-शिक्षा (Sex Education)—किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे कठिन और नाजुक अवस्था है और यौन-अवस्था किशोरावस्था की सबसे जटिल और नाजुक समस्या है। किशोरावस्था की अधिकांश समस्याओं का सम्बन्ध कामप्रवृत्ति से होता है। इसलिए विद्यालयों में किशोर बालक-बालिकाओं के लिए यौन-शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जानी चाहिये। **रॉस** (Ross) के अनुसार, *"यौन-शिक्षा की परम आवश्यकता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। इस बात की आवश्यकता है कि किशोरों को एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जानी चाहिए जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो।"* इस विषय में **स्ट्रॉल** (Stroll) ने कहा है कि, *"किशोर बालक-बालिकाओं को यौन सम्बन्धी शिक्षा ठीक उसी ढंग से दी जानी चाहिए जिस ढंग से अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है।"*

"Information on sexual subjects should be given exactly the same tone of voice, in the, same manner, with the directness and information on other subjects."

शिक्षक का कर्त्तव्य है कि वह किशोर बालक-बालिकाओं को यौन-शिक्षा देकर उनमें स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करे जिससे वे अपनी काम-वासना की समस्याओं को सुलझा सकें और आगे जाकर अच्छे माता-पिता बन सकें।

(13) उत्तरदायित्व के कार्य (Sense of Responsibility)—किशोरावस्था में किशोरों को उत्तरदायित्व के कार्य सौंपे जाने चाहिएं जिससे उनके अन्दर उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके। इससे उनमें नेतृत्व की भावना जागृत होगी।

(14) लोकतन्त्रीय वातावरण (Democratic Environment)—किशोरों के स्वतंत्र और सम्पूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय, परिवार और समुदाय में लोकतांत्रिक वातावरण हो। ऐसे वातावरण में ही उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

(15) सृजनात्मक कार्यों की व्यवस्था (Creative Work)—किशोरों को विभिन्न सृजनात्मक कार्यों, संगीत आदि के द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए।